


## 4.1.2

Audited income and expenditure statement of the institution to be signed by CA and counter signed by the competent authority (relevant expenditure claimed for infrastructure augmentation should be clearly highlighted)

Establishment of CIC under PMFME

४५४ - ६

S No.	Year	Common Incubation Centre of PMFME Section Amount	Centre Allot. Amount	Receipt /Allot. Amount
1	2021-22	29845000	Sehore	9998820
2	2021-22	33540000	Morena	10000000
3	2021-22	35400000	Gwalior	10000313
Total		98785000		29999133

  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय  
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, गवालियर - 474002 (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (0) 0751-2970516 (फैक्स)

E-mail- [comptroller.rvskvv12@gmail.com](mailto:comptroller.rvskvv12@gmail.com)

48

क्रमांक/ले.नि./2021-22/3148

गवालियर : 29/11/2021

**//आदेश//**

कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. गवालियर को निदेशक अनुसंधान सेवायें रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. गवालियर द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों हेतु PMFME परियोजना के अंतर्गत "Stablishment of Common Incubation Centre" कार्य के लिये वर्ष 2021-22 में राशि रु. 2,99,99,133/- (दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तेतीस) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

क्र.	इकाई का नाम	आवंटित राशि	इकाई का खाता क्र.	परियोजना का नाम
1.	CoA सीहोर	99,98,820/-	40271603692	Establishment of Common Incubation Centre
2.	CoA गवालियर	1,00,00,313/-	21160110029930	
3.	KVK मुरैना	1,00,00,000/-	430110072394	

- 1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/ले.नि./2018-19/177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के माध्यम/सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।
- 8.) लेखा शाखा से परीक्षण उपरांत ही देयकों के भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त व्यय बजट शीर्ष PMFME परियोजना के अंतर्गत "Stablishment of Common Incubation Centre" कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. गवालियर वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(लेखा नियंत्रक)

गवालियर : 29/11/2021

क्रमांक/ले.नि./2021-22/3149

प्रतिलिपि:-

- 1.) निदेशक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., गवालियर।
- 2.) कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. गवालियर।
- 3.) अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय सीहोर/गवालियर।
- 4.) वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र मुरैना।
- 5.) शाखा अधिकारी, वित्त/रिलीज, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., गवालियर।
- 6.) माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., गवालियर।

(लेखा नियंत्रक)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

28, अरेस हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/कृषि/अनु./3/1/14/60/921 भोपाल, दिनांक- 15/12/2023  
प्रति,

4882  
21/12/23

संचालक अनुसंधान सेवाएं  
राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर ।

विषय:- राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अन्तर्गत संचालित उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर की परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए प्रथम किश्त विमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र पत्र क्रमांक-2140 दिनांक 08.12.2023  
0000

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा परियोजना " सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए राशि विमोचित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/कृषि अनु./3/1/14/60/761-762 दिनांक 06.09.2023 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अन्तर्गत संचालित उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर की परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए राशि रूपये 416.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रु. 416.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु.374.94 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 112.00 लाख (रु. एक करोड़ बारह लाख मात्र) भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. मंडी बोर्ड शाखा भोपाल द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से युको बैंक शाखा विश्वविद्यालय परिसर गुरिना रोड ग्वालियर के खाता क्रमांक- 21160110035115 दिनांक-13.12.2023 को जमा करा दी गयी है।

अतः परियोजना की प्रगति के संबंध में कार्यों पर व्यय की गयी राशि की भौतिक/वित्तीय स्थिति की जानकारी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट करें।

Forwarded for releasing the funds to Dean CoH- Mandasaur M

*[Signature]*  
15/12/2023

उप संचालक (अधो.)  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल.

1410  
21/12/23

*[Signature]*

21/12

DPS, R.V.S.K.V.V. Gwalior (M.P.)  
Dispatch No. 2278  
Date 21-12-2023

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड़, भोपाल

क्रमांक / कृषि / अनु. / 3 / 1 / 14 / 60 / 888 भोपाल, दिनांक- 07 / 11 / 2023

प्रति,

संचालक अनुसंधान सेवाएं  
राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर ।

विषय:-

राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना  
" एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्चर आधारित  
आलू बीज उत्पादन " के लिए प्रथम किश्त विमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:-

आपका पत्र पत्र क्रमांक-1756 दिनांक 16.10.2023

0000

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा परियोजना " एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्चर आधारित आलू बीज उत्पादन " के लिए राशि विनोचित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/कृषि अनु. /3/1/14/60/761-762 दिनांक 06.09.2023 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना " एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्चर आधारित आलू बीज उत्पादन " के लिए राशि रूपये 729.22 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रु. 729.22 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु.656.29 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 196.88 लाख (रु. एक करोड़ छियानवें लाख अठ्ठासी हजार मात्र) भोपाल को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. मंडी बोर्ड शाखा भोपाल द्वारा आर0टी0जी0एच0 के माध्यम से यूको बैंक शाखा विश्वविद्यालय परिसर मुरैना रोड ग्वालियर के खाता क्रमांक- 21160110035092 दिनांक-01.11.2023 को जमा करा दी गयी है।

अतः परियोजना की प्रगति के संबंध में कार्यों पर व्यय की गयी राशि की भौतिक/वित्तीय स्थिति की जानकारी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट करें।

उप संचालक (अधो.)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल.

— आदेश —

म0प्र0 राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 45वीं बैठक दिनांक-24.07.2015 के प्रस्ताव क्र-09 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के पालन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 'वालियर' की परियोजना 'कृषि व्यवसाय प्रबंधन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ' के लिए राशि रु. 252.00 लाख (रु. दो करोड़ बावन लाख मात्र) म.प्र. राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 के नियम 7 (2) (ड) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि रु. 252.00 लाख (रु. दो करोड़ बावन लाख मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 226.80 लाख (रु. दो करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 25.20 लाख (रुपये पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय वालियर द्वारा अपने स्रोतों से की जावेगी।

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्तों के अधीन व्यय रहेगा :-

- (1) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है, उससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बढी राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जावेगा।
- (2) अनुदान राशि का उपयोग 'आवर्ती व्यय' में उपयोग नहीं होगा।
- (3) अनुदान की राशि परियोजना की प्रगति के आधार पर समय-समय पर समिति सुनिश्चित करेगी जो किशतों में दी जावेगी।
- (4) अनुदान राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था द्वारा मंडी बोर्ड को भेजा जायेगा।
- (5) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण तथा प्रमाण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) अनुदान से व्यय की गई राशि के लेखा बोर्ड के अधिकारियों के लिये सदैव खुले रहेंगे।
- (7) परियोजना का कार्य पूर्ण होने के संबंध में प्रमाण पत्र संबंधित संस्था द्वारा जारी कर बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) अनुदान से निर्मित आस्तियों की प्रविष्टि संस्था अपने रजिस्टर में करेगी।
- (9) आस्तियों पर मरम्मत संबंधी व्यय करने की जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी।

निरंतर 01

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

28, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/कृषि/अनु./3/1/14/193/2021 भोपाल, दिनांक- 08/03/2021

प्रति:


संचालक अनुसंधान सेवाएँ  
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर !

विषय- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की परियोजना "बायोटेक्नोलॉजी लैब" हेतु राशि विमुक्त करने बाबत।  
संदर्भ- आपका पत्र पत्र क्रमांक-1558 दिनांक 23.01.2021  
0000

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों द्वारा परियोजना "बायोटेक्नोलॉजी लैब" के भवन निर्माण कार्य "के अन्तर्गत उपकरण क्रय करने के लिए राशि रु.174.28 लाख भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/कृषि अनु./3/1/14/191-192 दिनांक 28.02.14 के अनुक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना "बायोटेक्नोलॉजी लैब" के भवन निर्माण कार्य "के लिए मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान तथा अधोस्तरचना विकास निधि से कुल स्वीकृत राशि रु. 2430.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु. 2187.00 लाख में से आठवीं किस्त के रूप में राशि रुपये 174.28 लाख (रु. एक करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. मंडी बोर्ड शाखा भोपाल द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से यूको बैंक शाखा मुसर ग्वालियर के खाता क्रमांक-21180110015058 दिनांक-28.02.2021 को जमा करा दी गयी है। कृपया पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः परियोजना की प्रगति के संग्रह में परियोजना पर व्यय की गयी राशि की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट करें, साथ ही इस परियोजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरण, मशीनरी एवं फर्नीचर इत्यादि क्रय करने के लिए भण्डार कट नियमों का पालन करते हुए मॉग पत्र के साथ की गयी उपरोक्त कार्यावली की सत्याप्रति प्रति मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

  
08/03/21  
उप संचालक (अधी.)  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

निदेशालय अनुसंधान सेवाएँ


राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

दिनांक : 15-03-2021

पृष्ठ क्र./नि.अ.से./त.अ./2021/1833

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. डॉ. एम.के. त्रिपाठी, प्रभारी, बायोटेक्नोलॉजी लैब, रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3. निज सचिव, माननीय कुलपति, रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
निदेशक अनुसंधान सेवाएँ

*amban*  
*3*  
*Campbell*  
*24/02/21*

## -: आदेश :-

म0प्र0 राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 50वीं बैठक दिनांक-25.11.2019 के अतिरिक्त प्रस्ताव क्र.-01 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के पालन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की परियोजना "ऑडिटोरियम एवं संगोष्ठी हॉल के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य" के लिए राशि रु. 1189.61 लाख (रु. ग्यारह करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार मात्र) म.प्र.राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 के नियम 7 (2) (घ) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि रु.1189.61 लाख (रु. ग्यारह करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 1070.65 लाख (रूपये दस करोड़ सत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 118.96 लाख (रूपये एक करोड़ अठारह लाख छियानवे हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्रोतों से की जावेगी। परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है:-

क्र.	कार्य का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1.	ऑडिटोरियम बिल्डिंग वर्क	261.16
2.	एचवीएसी ऑडिटोरियम 90 प्रतिशत 7000 प्रति वर्गमीटर	208.53
3.	ऑडिटोरियम के लिए अतिरिक्त 9000 प्रति सीट	90.90
4.	अतिरिक्त ऑडियो-विजुअल, एक्सेसिक्स एण्ड स्टेज लाईटिंग के लिए	350.00
5.	आंतरिक कार्य के लिए	55.00
6.	आकस्मिक व्यय 3%	28.96
7.	एनबीसीसी चार्ज 7%	67.59
8.	जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी	127.46
	कुल योग:-	1189.61

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्तों के अधीन देय रहेगा :-

- (1) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है, उससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जावेगा।
- (2) अनुदान राशि का उपयोग "आवर्ती व्यय" में उपगत नहीं होगा।

गि.सं. - 02



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेश हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/कृषि अनु./3/1/14/50/243 भोपाल, दिनांक/18/12/2019

—: आदेश :-

म0प्र0 राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 50वीं बैठक दिनांक-25.11.2019 के अतिरिक्त प्रस्ताव क्र.-02 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के पालन में राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की परियोजना "जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में जीन भण्डार की स्थापना" के लिए राशि रु. 925.00 लाख (रु. नौ करोड़ पच्चीस लाख मात्र) म.प्र.राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के नियम 7 (2) (घ) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि रु.925.00 लाख (रु. नौ करोड़ पच्चीस लाख मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 832.50 लाख (रूपये आठ करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 92.50 लाख (रूपये बानवे लाख पचास हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्रोतों से की जावेगी। परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है:-

क्र.	कार्य का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1.	बायोटेक्नोलॉजी लैब के उपकरण के लिए	875.00
2.	लैब के फर्नीचर के लिए	50.00
	कुल योग:-	925.00

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्तों के अधीन देया रहेगा :-

- (1) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है, उससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बढी हुई राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जावेगा।
- (2) अनुदान राशि का उपयोग 'आवर्ती व्यय' में उपगत नहीं होगा।
- (3) अनुदान की राशि परियोजना की प्रगति के आधार पर समय-समय पर संस्था को किशतों में दी जावेगी।
- (4) अनुदान राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था द्वारा मण्डली बोर्ड को भेजा जावेगा।
- (5) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण तथा प्रमाण संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) अनुदान से व्यय की गई राशि के लेखा, बोर्ड के अधिकारियों के लिये सदैव खुले रहेंगे।
- (7) परियोजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित संस्था द्वारा जारी कर बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

Year	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
	285.73	194.85	0.00	0.00	78.00	558.58

ICAR Dev. Grant (Receive)

Fig in Lakhs

*R.V.S.K.V.V., Gwalior*  
Comptroller

ICAR

Development and SC-SP and library  
strengthening - (Capital)  
(D-Expend)

४९४ - A

(in Lacs)

S.no.	Year	Received from ICAR (Capital)
1	2017-18	1065.36
2.	2018-19	198.73
3.	2019-20	285.73
4.	2020-21	194.85
5.	2021-22	00
Total		1744.67

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

24001197

15



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
Indian Council Of Agricultural Research  
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली -110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

Phone 011-25841559  
adg.eph@icar.gov.in  
Website www.icar.org.in

डॉ विमलेश मान  
Dr. Bimlesh Mann  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)



Release : First Instalment /2023-24 under SC-SP

F.No. F.No. Agril.Edn./5(2)/2023-EP&HS  
Dated : 08-Mar-2024

To,  
The Vice-Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior

Completed  
&  
17/3

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2023-24 - reg.

Sir,  
The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 6600000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2023-24 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table given as under:

S.No.	Particulars	Amount (in Lakh )		
		Capital	General	Total
Total fund allocated under "Schedule Caste Sub Plan " during the CFY 2023-24				
1.	Amount as First Instalment	600000.00	6000000.00	6600000.00
2.	Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2023-24	600000.00	6000000.00	6600000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 )			0.00
7.	Amount proposed to be released as First Instalment			6600000.00
8.	Unspent as per AUC 2022-23			930820.00
9.	Unspent as per AUC 2022-23 already adjusted in 2023-24			930820.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			0.00
11.	Net amount to be released as First Instalment			6600000.00
12.	Actual Amount release to the University			6600000.00

DFR  
Nodal officer  
11/03/24

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit utilization certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.

12/03/24-24/03/24  
11/03/24

Handwritten signature



कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृ. वि. वि. विद्यालय  
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर - 474002 (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (0) 0751-2970516 (फैक्स)  
E-mail- comptroller@rvskvvv.net

क्रमांक/ले.नि./2023-24/3443

ग्वालियर 22/03/2024

//आदेश//

सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना एवं गृह विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 20.03.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों को "Development Grant" के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में प्रथम किश्त के रूप में राशि रु. 12.00 लाख (बारह लाख) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

S.No.	Name Of College	Amount
1.	College Of Agriculture, Gwalior	2.50
2.	College Of Agriculture, Indore	2.00
3.	College Of Agriculture, Sehore	2.00
4.	College Of Agriculture, Khandwa	1.50
5.	College Of Horticulture, Mandsaur	2.00
6.	Nodel Cell, RVSKVV Gwalior	2.00
	Total	12.00

- 1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/ले.नि./2018-19/177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/ परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के माध्यम/सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।

उक्त व्यय बजट शीर्ष "Development Grant" विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(लेखा नियंत्रक)

ग्वालियर : 22/03/2024

क्रमांक/ले.नि./2023-24/3444

प्रतिलिपि:-

- 1.) अधिष्ठाता, कृषि संकाय रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 2.) अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर/इंदौर/सीडोर/खंडवा/उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर।
- 3.) नोडल सेल, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 4.) शाखा अधिकारी, वित्त/रिलीज, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर। राशि विमोचित करना है।
- 5.) माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

(लेखा नियंत्रक)

Development Grant 2018-19 Total Allotment - 1,41,71,000

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,97,3000	1,97,3000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	12,00,000	12,00,000	0.00
3.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	3,98,000	2,79,447	1,18,553
4.	College of Agriculture, Gwalior	13,50,000	13,31,341	18,659
5.	College of Agriculture, Sehore	23,50,000	23,50,000	0.00
6.	College of Agriculture, Indore	23,50,000	23,48,164	1,836
7.	College of Agriculture, Khandwa	23,50,000	23,50,000	0.00
8.	College of Horticulture, Mandsaur	22,00,000	21,99,991	9.00
Total		1,41,71,000	1,40,31,943	1,39,057

SC-SP under Development Grant 2018-19 Allotment ₹1,35,00,000

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	30,00,000	29,43,162	56,838
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	25,00,000	25,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	16,00,000	10,62,749	5,37,251
4.	College of Agriculture, Sehore	16,00,000	16,00,000	0.00
5.	College of Agriculture, Indore	16,00,000	16,00,000	0.00
6.	College of Agriculture, Khandwa	16,00,000	15,99,580	420
7.	College of Horticulture, Mandsaur	16,00,000	0.00	16,00,000
Total		1,35,00,000	1,13,05,491	21,94,509

**OFFICE OF THE COMPTROLLER**  
**RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDHYALAYA**  
**GWALIOR (M.P.) - 474 002**

Development Grant 2019-20 Total Allotment - 2, 10, 00,000  
 F.No.Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS Dated: 31.07.2019.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	32,00,000	20,82,880	11,17,120
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	10,00,000	10,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	79,00,000	66,20,057	12,79,943
4.	College of Agriculture, Sehore	29,00,000	25,92,000	3,08,000
5.	College of Agriculture, Indore	54,00,000	48,21,388	5,78,612
6.	College of Agriculture, Khandwa	3,00,000	2,99,268	732
7.	College of Horticulture, Mandsaur	3,00,000	2,99,983	17
<b>Total</b>		<b>2,10,00,000</b>	<b>1,77,15,576</b>	<b>32,84,424</b>

SC-SP under Development Grant 2019-20 Allotment.

F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 18.09.2019. Amount: - 82,25,000.

F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 17.01.2020. Amount:- 28,75,000.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	44,43,250	44,43,250	0.00
2.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,29,750	1,29,676	74
3.	College of Agriculture, Gwalior	13,61,600	16,776	13,44,824
4.	College of Agriculture, Sehore	13,41,350	2,00,000	11,41,350
5.	College of Agriculture, Indore	13,41,350	9,92,140	3,49,210
6.	College of Agriculture, Khandwa	13,41,350	2,96,845	10,44,505
7.	College of Horticulture, Mandsaur	15,41,350	12,40,301	3,01,049
<b>Total</b>		<b>1,15,00,000</b>	<b>73,18,988</b>	<b>41,81,012</b>

2  
 Comptroller  
 RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA  
 KRISHI VISHWA VIDHYALAYA  
 GWALIOR (M.P.) - 474 002





GFR 12-A  
AUDITED UTILIZATION CERTIFICATE  
STRENGTHENING AND DEVELOPMENT OF HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION IN INDIA  
(SUB-COMPONENT WISE)

Name of the University:

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Financial Year :

2020-21

1. Name of Scheme:

Schedule Caste Sub Plan

2. Total Grant received:

Capital	General	Total
8500000.00	818988.00	9318988.00

3. Grant Position of the beginning of the Financial Year (Opening Balance)

3(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

3(ii) Unadjusted advances:

Capital	General	Total
0.00	4181012.00	4181012.00

3(iii) Total {3(i)+3(ii)}:

4181012.00

4. Total grant available (Sr.no.2+ Sr.no.3)

Capital	General	Total
8500000.00	5000000.00	13500000.00

5. Details of grants received, expenditure incurred and closing balance : (Actuals)

Unspent Balances of Grants received Years (figure as at Sl. No. 3(iii))	Interest Earned thereon	State Share	Grant received during the year			Total Available funds	Expenditure incurred	Closing Balance	
			Sanction No. (i)	Date	Amount				
1	2	3		4		5	6	7	
				Capital	General				
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	10.09.2020	8500000.00	818988.00	9318988.00		
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	28.01.2021	0.00	0.00	0.00		
4181012.00	0.00	0.00	F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	22.03.2021	0.00	0.00	0.00	13500000.00	
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	18.03.2021	0.00	0.00	0.00	12569180.00	
					0.00	0.00	0.00	930820.00	
					0.00	0.00	0.00		
			Total		8500000.00	818988.00	9318988.00		
							0.00		
							13500000.00	12569180.00	
								930820.00	
Refund to Council, if any									
Total available fund							13500000.00	12569180.00	930820.00

6. Component wise utilization of grants

Capital  
8500000.00General  
4069180.00Total  
12569180.00

7. Details of Grants position of the end of the year (Closing Balance as an unspent balance)

7(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

7(ii) Unadjusted advances:

Capital	General	Total
0.00	930820.00	930820.00

7(iii) Total {7(i)+7(ii)}:

930820.00

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.



GFR 12-A  
AUDITED UTILIZATION CERTIFICATE  
STRENGTHENING AND DEVELOPMENT OF HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION IN INDIA  
(SUB-COMPONENT WISE)

Name of the University:

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Financial Year:

2020-21

1. Name of Scheme:

Schedule Caste Sub Plan

2. Total Grant received:

	Capital	General	Total
	8500000.00	818988.00	9318988.00

3. Grant Position of the beginning of the Financial Year (Opening Balance)

3(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

3(ii) Unadjusted advances:

	Capital	General	Total
	0.00	4181012.00	4181012.00

3(iii) Total {3(i)+3(ii)}:

4181012.00

4. Total grant available (Sr.no.2+ Sr.no.3)

	Capital	General	Total
	8500000.00	5000000.00	13500000.00

5. Details of grants received, expenditure incurred and closing balance : (Actuals)

Unspent Balances of Grants received Years (figure as at Sl. No. 3(iii))	Interest Earned thereon	State Share	Grant received during the year			Total Available funds	Expenditure incurred	Closing Balance
			4	5	6			
1	2	3	Sanction No. (i) F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	Date	Capital	General	Amount	7
				10.09.2020	8500000.00	818988.00	9318988.00	
				28.01.2021	0.00	0.00	0.00	
4181012.00	0.00	0.00		22.03.2021	0.00	0.00	0.00	13500000.00
				18.03.2021	0.00	0.00	0.00	12569180.00
					0.00	0.00	0.00	930820.00
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
				Total	8500000.00	818988.00	9318988.00	
Refund to Council, if any							0.00	
Total available fund							13500000.00	12569180.00
								930820.00

6. Component wise utilization of grants

Capital

8500000.00

General

4069180.00

Total

12569180.00

7. Details of Grants position of the end of the year (Closing Balance as an unspent balance)

7(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

7(ii) Unadjusted advances:

	Capital	General	Total
	0.00	930820.00	930820.00

7(iii) Total {7(i)+7(ii)}:

930820.00

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned

डॉ पी एस पांडेय

Dr. P. S. Pandey

सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Release : Forth Instalment /2020-21 under SC-SP

F.No. Agril.Edn./1(10)/2020-EP&HS

Dated : 18-Mar-2021

To,

The Vice-Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2020-21 - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 1750000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2020-21 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste-Sub Plan (SC-SP) are given in Table given as under:

S.No.	Particulars	Amount (in Lakh)		
		Capital	General	Total
	Total fund allocated under "Schedule Caste Sub Plan" during the CFY 2020-21			
1.	Amount as First Instalment	2000000.00	1000000.00	3000000.00
2.	Amount as Second Instalment	2500000.00	1000000.00	3500000.00
3.	Amount as Third Instalment	3000000.00	2250000.00	5250000.00
4.	Amount as Four Instalment	1000000.00	750000.00	1750000.00
5.	Total fund allocated during 2020-21	8500000.00	5000000.00	13500000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 /2 /3 /4 )			1750000.00
7.	Amount proposed to be released as Forth Instalment			4181012.00
8.	Unspent as per UC/AUC 2019-20			3800000.00
9.	Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-21			581012.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			1050000.00
11.	Net amount to be released as Forth Instalment			1050000.00
12.	Actual Amount release to the University			



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
Indian Council of Agricultural Research  
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली -110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

डॉ पी एस पांडेय  
Dr. P. S. Pandey  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone 011-25841559  
adgpehs@gmail.com  
Website www.icar.org.in

Release : Second Instalment /

F.No. Ag.Edn./1(11)/2020-EP&HS

Dated : 29-Jan-2021

To,

The Vice-Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2020-21 - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 6102960.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2020-21 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Strengthening and Development of AUs (Development Grant) are given in Table given as under:

Sl.No.	Particulars	Amount (in Rs. )		
		Capital	General	Total
	Total fund allocated under "Development Grant " during the CFY 2020-21			
1.	Amount as First Instalment	5492664.00	610296.00	6102960.00
2.	Amount as Second Instalment	5492664.00	610296.00	6102960.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2020-21	10985328.00	1220592.00	12205920.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 /2 )			6102960.00
7.	Amount proposed to be released as Second Instalment			6102960.00
3.	Unspent as per UC/AUC			3284424.00
3.	Unspent as per AUC already adjusted in			0.00
0.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			3284424.00
1.	Net amount to be released as Second Instalment			2818536.00
2.	Actual Amount release to the University			2818536.00



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूणा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgaphs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

Dated 14/9/2017

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 90.35 lakhs approved by Secretary, DARE & DG. ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S.No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as First instalment	90.35	38.72	129.07
2	Amount already released Grant in Aid - Revenue			38.72
3	Unspent amount (as per UC/AUC 2016-17) submitted by the university			90.35
4	Balance Amount to be released Grant in Aid Capital			0.00
5	Balance to be adjusted			90.35
6	Net amount to be released as First instalment (Sr. No. 4 - Sr. No. 5)			90.35

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Received on  
3/11/18

ck  
130  
481



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

Dated the 14<sup>th</sup> March, 2018

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - Release of Final Instalment - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 210.75 lakh approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S.No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
	Year - 2017-18			
1	Fund allocated	1021.36	177.54	1198.90
2	Amount already released	90.35	122.59	988.14
3	Amount to be released as Final Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 2)	155.81	54.94	210.75
4	Unspent amount (as per UC/AUC 2016-17) submitted by the university * (already adjusted)			10.76 *
5	Net Amount to be released as Final Instalment	155.81	54.94	210.75

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be

2FA/comp/111  
S. Kumar  
20/3/2018

17/11/2017

2017-18

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
 INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
 कृषि अनुसंधान भवन -II, पुसा, नई दिल्ली - 110 012  
 Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय  
 Dr. P.S. PANDEY  
 सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
 Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
 Fax : 011-24841559  
 Email : adgphs@gmail.com  
 Website : www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn.4-50/2017-EP&HS

Dated 17/11/2017

To  
 The Vice-Chancellor  
 Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
 Gwalior  
 Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agriculture Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 38.72 lakh approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S.No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as First instalment	0.00	38.72	38.72
2	Unspent amount (as per UC/AUC 2016-17) submitted by the university			7.67
3	Net amount to be released as First instalment (St. No. 1 + St. No. 2)			31.05

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

Receipts  
 17/11/17

Comptroller for UCP  
 B.S. Gul  
 17/11/17

710  
 18/11/17  
 15/11/17

17/11/17  
 17/11/17



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)


Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : edgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

F.No. Ag.Edn./4-50/2017-EP&HS

Dated the 23/2/18

To

The Vice Chancellor  
RVSKVV,  
Gwalior  
Madhya Pradesh



Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 400.00 lakh (Rupees four hundred lakh only) approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as Second Instalment	400.00	0.00	400.00
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount already adjusted during the release of first instalment in 2017-18)			7.61
3	Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of Second Instalment 2017-18)			0.00
4	Net amount to be released as Second Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 3)			400.00

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Dr.  
23/2/2018

DFA/Amplified/EE  
AK



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgphs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn/4-50/2017-EP&HS

Dated the 25<sup>th</sup> October, 2017

07/11/2017

15/11/2018

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 83.87 lakhs approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars.	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as Second Instalment	0.00	83.87	83.87
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first instalment in 2017-18)			10.76
3	Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of Second Instalment 2017-18)			0.00
4	Net amount to be released as Second Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 3)			83.87

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Office  
दिनांक 16/02/18  
को प्रारंभ



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)

Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25041559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

Dated the 3<sup>rd</sup> November, 2017

F.No. Ag.Edn./4-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor  
RVSKVV,  
Gwalior  
Madhya Pradesh



Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 375.20 lakh (Rupees three hundred seventy five lakh and twenty thousand only) approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as Second Instalment	375.20	0.00	375.20
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first instalment in 2017-18)			7.61
3	Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of Second Instalment 2017-18)			0.00
4	Net amount to be released as Second Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 3)			375.20

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

D No Vc/17-18/3318  
15/11/18

*[Signature]*  
16/11/2018

Controller / D.F.A.  
S. K. ...  
13/11/2018

Received  
27/12/17  
Aadit



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन - II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Assit. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

First and Final Instalment under SC-SP

Dated the 28<sup>th</sup> February, 2109

F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2018-19 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 135.00 lakhs approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

Table - I

S. N o.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		GIA-Capital	GIA - General	Total
1	Fund allocated during the financial year 2018-19 as First and Final instalment	50.00	85.00	135.00
2	Unspent amount as per UC/AUC 2017-18 submitted by the university			0.00*
3	Net amount to be released as First and Final instalment (Sr. No. 4 - Sr. No. 5)			135.00

\*No grant was released to the above accredited AUs under SC-SP during 2017-18, hence, no need of AUC 2017-18. First time funds earmarked for release during CFY 2018-19 as additional budget in this current financial under sub component Scheduled Caste Sub Plan (SC-SP).

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

एस. पांडेय

S. PANDEY

महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Director General (Education Planning & Home Science)

Dated the 6<sup>th</sup> August, 2018

13/8/18

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2018-19 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 141.71 lakhs approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2018-19 as First Instalment	103.73	37.98	141.71
2	Unspent balance as per AUC 2017-18			103.33
3	Net amount to be released as First Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 2)			38.38

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

38/18  
13/8/18  
13/8/18



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन-II, नई दिल्ली 110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी. एस. पांडेय

Dr. P. S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)


Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559

Fax : 011-24841559

Email : adgaphs@gmail.com

Website : www.icar.org.in



File No. 9-43/2017-EP&HS

Dated: 27.08.2018

To

The Vice Chancellor

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya,  
Gwalior-474 002 (M.P.)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2018-19 under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P.)

Sir,

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 45.00 lakh (Rupees Forty five lakh only) for CFY 2018-19 under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RVSKVV, Gwalior (M.P.). The details are as given below:

(Rs. in lakh)

S. No.	Head	Allocation	Release	Unspent amount (2017-18)	Net amount to be released
		2018-19			
1.	Capital	45.00	45.00	0.39	44.61
2.	Revenue	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Total	45.00	45.00	0.39	44.61

1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
3. Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be got approved from the ICAR.
4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred

Read  
21.9.18  
Comptroller  
18/9/18

**OFFICE OF THE COMPTROLLER**  
**RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDHYALAYA**  
**GWALIOR (M.P.) - 474 002**

Development Grant 2019-20 Total Allotment - 2, 10, 00,000  
 F.No.Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS Dated: 31.07.2019.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	32,00,000	20,82,880	11,17,120
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	10,00,000	10,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	79,00,000	66,20,057	12,79,943
4.	College of Agriculture, Sehore	29,00,000	25,92,000	3,08,000
5.	College of Agriculture, Indore	54,00,000	48,21,388	5,78,612
6.	College of Agriculture, Khandwa	3,00,000	2,99,268	732
7.	College of Horticulture, Mandsaur	3,00,000	2,99,983	17
<b>Total</b>		<b>2,10,00,000</b>	<b>1,77,15,576</b>	<b>32,84,424</b>

SC-SP under Development Grant 2019-20 Allotment.  
 F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 18.09.2019. Amount: - 82,25,000.  
 F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 17.01.2020. Amount:- 28,75,000.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	44,43,250	44,43,250	0.00
2.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,29,750	1,29,676	74
3.	College of Agriculture, Gwalior	13,61,600	16,776	13,44,824
4.	College of Agriculture, Sehore	13,41,350	2,00,000	11,41,350
5.	College of Agriculture, Indore	13,41,350	9,92,140	3,49,210
6.	College of Agriculture, Khandwa	13,41,350	2,96,845	10,44,505
7.	College of Horticulture, Mandsaur	15,41,350	12,40,301	3,01,049
<b>Total</b>		<b>1,15,00,000</b>	<b>73,18,988</b>	<b>41,81,012</b>

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
Indian Council Of Agricultural Research  
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली -110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

43

Phone 011-25841559  
adgaphs@gmail.com  
Website www.icar.org.in

पंडेय  
Pandey  
महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)  
Director General (Education Planning & Home Science)

Release : First Instalment  
F.No. Agril.Edn/9( 43 )/2017-EP&H  
Dated : 27-Sep-2019

Chancellor  
Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior


Sanction and release of funds under sub component "Library Strengthening " of the plan scheme Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India for the year 2019-20 - reg.

approval and sanction of the Competent Authority of ICAR New Delhi is Rs. 3800000.00 (Rs. Thirty-Lakh Only ) (Capital Rs.3800000.00 lakh & Revenue Rs.0.00 lakh) under sub component "Library Strengthening " of Plan Scheme "Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India" for the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as annexure enclosed. The details of the funds are given as under:

Particulars	Amount (in Rs. )		
	Capital	Revenue	Total
Total fund allocated under "Library Strengthening " during the CFY 2019-20			
Amount as First Instalment	3800000.00	0.00	3800000.00
Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
Total fund allocated during 2019-20	3800000.00	0.00	3800000.00
Total amount released so far (Sr. No. 1 )			0.00
Amount proposed to be released as First Instalment			3800000.00
Unspent as per AUC 2018-19			516781.00
Unspent as per AUC 2018-19 already adjusted in 2019-20			0.00
Difference, if any, to be refunded/adjusted			516781.00
Net amount to be released as First Instalment			3283219.00

This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit utilization certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure be incurred on any item not utilize approved by the ICAR.

A. Singh  
18





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली -- 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

Phone : 011-25841760  
Fax : 011-2483932  
E-mail : ddgsdn@gmail.com  
Website: www.icar.org.in

L.S. RATHORE  
Director General (Agricultural Education)

Dated the 31<sup>st</sup> July, 2019

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-FP&HS

To  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 -- Release of First Instalment - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 21000000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars Financial Year - 2019-20	Amount in Rs.		
		Capital	General	Total
1	Fund allocated	19000000.00	2000000.00	21000000.00
2	Unspent amount (as per UC/AUC 2018-19) submitted by the university			138065.00
3	Net Amount to be released as First Instalment			20861935.00

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved by the ICAR.

*(Signature)*  
on 13.8.19



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

Phone : 011-25841559  
email : [adgeo@icar.org.in](mailto:adgeo@icar.org.in)  
Website : [www.icar.org.in](http://www.icar.org.in)

डी.एस. पांडेय

P.S. PANDEY

प्रमुख महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Joint Director General (Education Planning & Home Science)

Release Second Instalment under SC-SP

F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS

Dated: 05--November--2019

17 January 2020

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior, Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs.2875000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

Table - I

Sl. No.	Particulars	Amount (in Rs.)		
		GIA-Capital	GIA-General	Total
Total fund allocated under "Scheduled Cast Sub Plan" during the CFY 2019-20				
1.	Amount as First Instalment	4329750.00	4295250.00	8625000.00
2.	Amount as Second Instalment	1443250.00	1431750.00	2875000.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2019-20	5773000.00	5727000	11500000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 )			8625000.00
7.	Amount proposed to be released as Second Instalment 2019-20			2875000.00
8.	Unspent as per UC 2018-19 (already adjusted)			2194509.00
9.	Unspent as per AUC 2018-19 to be adjusted in 2019-20			2194509.00
10.	Difference, if any, to be refunded/ adjusted (Sr. No. 8 - Sr. No. 9)			0.00
11.	Net amount to be released as Second Instalment 2019-20 as per Sr. No. 2			2875000.00



Urgent- अतिसर जराजुगत!

21/10/19

OFFICE OF THE CONTROLLER  
4053  
21/10/19

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krisi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय  
Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
adcsaps@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

Release First Instalment under SC-SP  
F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS

Dated: 18-Sep-2019

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior, Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs.8625000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (in Rs.)		
		GIA-Capital	GIA-General	Total
Total fund allocated under "Scheduled Cast Sub Plan" during the CFY 2019-20				
1.	Amount as First Instalment	4329750.00	4295250.00	8625000.00
2.	Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2019-20	4329750.00	4295250.00	8625000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 )			
7.	Amount proposed to be released as First Instalment			8625000.00
8.	Unspent as per UC/AUC 2018-19			2194509.00
9.	Unspent as per UC/AUC 2018-19 already adjusted in 2019-20			0.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			0.00
11.	Net amount to be released as First Instalment			6430491.00

6/10/19

Amount released on 21/10/19 by

urgent DFA / Capital Expenditure

Development Grant 2018-19 Total Allotment - 1,41,71,000


S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,97,3000	1,97,3000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	12,00,000	12,00,000	0.00
3.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	3,98,000	2,79,447	1,18,553
4.	College of Agriculture, Gwalior	13,50,000	13,31,341	18,659
5.	College of Agriculture, Sehore	23,50,000	23,50,000	0.00
6.	College of Agriculture, Indore	23,50,000	23,48,164	1,836
7.	College of Agriculture, Khandwa	23,50,000	23,50,000	0.00
8.	College of Horticulture, Mandsaur	22,00,000	21,99,991	9.00
Total		1,41,71,000	1,40,31,943	1,39,057

SC-SP under Development Grant 2018-19 Allotment ₹1,35,00,000

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	30,00,000	29,43,162	56,838
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	25,00,000	25,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	16,00,000	10,62,749	5,37,251
4.	College of Agriculture, Sehore	16,00,000	16,00,000	0.00
5.	College of Agriculture, Indore	16,00,000	16,00,000	0.00
6.	College of Agriculture, Khandwa	16,00,000	15,99,580	420
7.	College of Horticulture, Mandsaur	16,00,000	0.00	16,00,000
Total		1,35,00,000	1,13,05,491	21,94,509



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन-II, नई दिल्ली 110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012



डॉ. पी. एस. पांडेय  
Dr. P. S. PANDEY  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

File No. 9-43/2017-EP&HS  
Dated: 12.09.2017

To.  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,  
Gwalior-474 002 (M.P.)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2017-18 under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P.)

Sir,

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 31.00 lakh (Rupees Thirty one lakh only) for CFY 2017-18 under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RVSKVV, Gwalior (M.P.). The details are as given below:

S. No.	Head	Release	Unspent amount (2016-17)	Net amount to be released
1.	Capital	21.00	0.00	21.00
2.	Revenue	10.00	0.00	10.00
3.	Total	31.00	0.00	31.00

1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
3. Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be got approved from the ICAR.
4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred

Dr/Vc/13-18/2670  
08/11/17

Recd on  
29.9.17

Controller / D I  
S. K. Sharma  
6/11/2017



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन-II, नई दिल्ली 110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी. एस. पांडेय  
Dr. P. S. PANDEY  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgaphs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

File No. 9-43/2017-EP&HS  
Dated: 19.02.2018

To  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,  
Gwalior-474 002 (M.P)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2017-18 (2<sup>nd</sup> installment) under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P)

Sir,

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 39.00 lakh (Rupees Thirty nine lakh only) for CFY 2017-18 (2<sup>nd</sup> installment) under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RVSKVV, Gwalior (M.P). The details are as given below:

(Rs. in lakh)				
S. No.	Head	Release	Unspent amount (2016-17)	Net amount to be released
1.	Capital	23.00	0.00	23.00
2.	Revenue	16.00	0.00	16.00
3.	Total	39.00	0.00*	39.00

\*Already adjusted in 1<sup>st</sup> installment

1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
3. Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be got approved from the ICAR.
4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred on items of recurring nature in any case. Non-compliance of the instruction of the Council will be viewed seriously and entire amount incurred will be treated as disallowed.

Dno/Vel/17-18/3795-  
22/02/18

Capital / DFA / Library  
S. K. [Signature]



कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय  
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, गवालियर - 474002 (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (0) 0751-2970516 (फैक्स)  
E-mail- comptroller.rvskvv12@gmail.com

क्रमांक/ले.नि./2023-24/2511

गवालियर : 26/12/2023

**//आदेश//**

अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर को निदेशक अनुसंधान सेवायें रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. गवालियर द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिये उन्नत केन्द्र" हेतु वर्ष 2023-24 के लिये परियोजना की कुल राशि रु. 416.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु. 374.94 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में राशि रु. 112.00 लाख (एक करोड़ बारह लाख) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

- 1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/ले.नि./2018-19/177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के माध्यम/सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।

उक्त व्यय बजट शीर्ष "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिये उन्नत केन्द्र" उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

क्रमांक/ले.नि./2023-24/2512  
प्रतिलिपि:-

- 1.) निदेशक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., गवालियर।
- 2.) अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर।
- 3.) शाखा अधिकारी, वित्त/रिलीज, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., गवालियर।
- 4.) माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., गवालियर।

(लेखा नियंत्रक)

गवालियर : 26/12/2023

(लेखा नियंत्रक)

Year	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
	369.01	149.69	46.70	0.00	93.00	658.40

KVK works (Arrears)

Fig in Lacs

*R. V.S.K.V.V., Gwalior*  
**Comptroller**



S.N.	Name of the ZPD/KVKs	RE 2023-24 & BE 2023-24	Pay & Allow.	TA	HRD	Cont.		Soil & Water Testing Lab.	Integrat ed Farming System	Special ized KVK	Techn ology Inform ation Unit	For strengt hening net works	e-Farme rs	Rev. Fund	Total Gen.	Equip./ Furni./ Impl.	Non-Recurring Contingency		Total Cap.	Grand Total
						Other then TSP	TSP										Works	Libr.		
23	KVK RVSKVV	BE 2023-24	126.01	1.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.01
23	Astoknagar	RE 2023-24	121.23	0.80	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	135.53
24	Badwani (TSP>50%)	BE 2023-24	190.64	1.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.64
25	Bhind	RE 2023-24	92.61	1.50	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61
26	Datta	BE 2023-24	239.65	1.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.84
27	Dewas	RE 2023-24	227.96	1.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	234.28
28	Dhar (TSP>50%)	BE 2023-24	251.54	1.20	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	266.05
29	Guna	RE 2023-24	137.65	1.30	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.86
30	Gwalior	BE 2023-24	120.92	1.25	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	262.45
31	Jhabua (TSP>50%)	RE 2023-24	284.15	1.00	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.79
32	Khandwa (TSP>25 & 50%)	BE 2023-24	192.89	0.75	0.00	7.80	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.70
33	Khangone (TSP>25 & 50%)	RE 2023-24	157.30	1.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30
34	Mandsaur	BE 2023-24	79.41	1.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.61
35	Morena	RE 2023-24	264.68	1.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	287.32
36	Neemuch	BE 2023-24	140.76	0.60	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	152.20
37	Raigarh	RE 2023-24	167.98	1.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.88
38	Shajapur	BE 2023-24	159.92	1.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.92
39	Sheopur	RE 2023-24	131.38	1.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75
40	Shivpuri	BE 2023-24	240.47	1.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	261.67
41	Ujjain	RE 2023-24	255.14	1.50	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	277.21
42	Alirajpur (TSP>50%)	BE 2023-24	48.79	1.00	0.00	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	124.69
43	Agarmalwa	RE 2023-24	90.59	1.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
44	Dhar-2 (TSP>50%)	BE 2023-24	118.82	1.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.72
	DES RVSKVV	RE 2023-24	105.29	1.25	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	122.15
	ATIG RVSKVV	BE 2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	Total RVSKVV	RE 2023-24	3752.51	26.70	0.00	332.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	235.80
	Total RVSKVV	RE 2023-24	3496.55	25.15	0.00	255.45	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.90	148.05	93.00	0.00	9.00	250.05

**Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi VishwaVidyalaya, Gwalior**  
//Order//

Date: 31/13/2023

J:\compu\bu\Alloc\2022-23\3643  
देवाभात विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों हेतु वर्ष 2022-23 के लिए निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:-

S. No.	Name of the KVK's	Pay & Allow	TA	HRD	Cohn.		Soil & Water Testing Lab.	Recurring Contingency					Non-Recurring Contingency			Works	Lib.	Vehicle (JEEP)	Grand Total
					Other then TSP	TSP		Integrated Farming System	Specialized KVK	Technology Informa on	For Streng e-Farmers theming net	Rev. Fund	Office equipments- IT	Farm implement/ Tractor with implements	Furniture & Furnishing				
1	Ashoknagar	138,230	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,830	
2	Badwani (TSP)	98,710	1,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114,310	
3	Bhind	245,560	0,80	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	268,560	
4	Daha	215,180	1,05	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229,830	
5	Dewas	248,270	0,70	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	269,970	
6	Dhar (TSP)	115,010	1,10	0,00	1,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,410	
7	Guna	127,760	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,360	
8	Gwalior	263,095	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	275,095	
9	Jhabua (TSP)	119,530	1,50	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137,630	
10	Khandwa	167,730	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180,630	
11	Khargone	137,770	1,30	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159,870	
12	Mandsaur	67,150	0,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,250	
13	Morena	271,000	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	10,00	0,00	0,00	0,00	283,000	
14	Neemuch	139,190	1,05	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,840	
15	Rajgarh	174,370	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,370	
16	Shajapur	136,740	1,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,740	
17	Sheopur	111,520	1,25	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125,370	
18	Shivpur	200,770	1,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,770	
19	Ujjain	225,790	1,80	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	241,190	
20	Alrajpur	41,930	1,30	0,00	2,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,230	
21	Agarmalka	77,620	1,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,180	
22	Dhar II	101,790	1,00	0,00	0,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	124,290	
Total (A) RVSKVV		3424,715	23,45	0,00	198,56	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	24,00	0,00	0,00	3607,525	
DES RVSKVV		0,000	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000	
ATCS, Gwalior		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Total (B) RVSKVV		0,000	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000	
Grand total		3424,715	24,450	1,000	203,560	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,880	22,000	24,000	0,000	0,000	3609,525	

नोट:- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंतर्गत जोन-7 जोन कृषि वि. जयपुर से 2022-23 के निम्न प्रकार राशि के अनुसार ही राशि निर्धारित की जावेगी. तथा बजट में 100 आरक्षण से पूर्व संशोधन (अतिरिक्त या कम) किया जावेगा।

3643

No./compu\bu\Alloc\2022-23/ 3643  
1.) The Director Extension Services, RVSKVV, Gwalior  
2.) All KVK, RVSKVV Gwalior.....  
3.) PS To Hon'ble V.C., RVSKVV Gwalior  
4.) The Release Section officer, RVSKVV Gwalior

Date: 31/03/2023

COMPTROLLER





BE & RE 2020-21 : ATARI, JABALPUR

Rs. In lakhs

S. No.	Name of the ZPD/KVKs	Pay & Allow.	TA	HRD	Cont.		Recurring Contingency										Non-Recurring Contingency			Grand Total					
					Other than TSP	TSP	Soil & Water Testing Lab.	Integrated Farming	Specialized KVK	Technology Information	For strengthening	Extension	Rev. Fund	Total Gen.	Equip./ Furni./ Farm Impl.	Works	Lib.	Vehicle	Total Cap.						
11	KVK RVSKVV	63.65000	1.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	83.15000		
23	Astiknagar	70.87686	0.30	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	90.17686		
24	Badwani (TSP>50%)	60.59000	1.30	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.09000	
25	Bhind	75.02671	0.50	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.82671
26	Datta	61.20000	1.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.70000
27	Dewas	82.19531	1.50	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.69531
28	Dhar (TSP>50%)	91.80000	0.10	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.30000
29	Guna	100.37000	0.10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.4489
30	Gwalior	131.09953	0.10	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.19953
31	Jhabua (TSP>50%)	80.17000	1.50	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.67000
32	Khandwa (TSP>25 & 50%)	83.99679	0.40	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.39679
33	Kharagone (TSP>25 & 50%)	70.38000	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.88000
34	Mandsaur	83.25812	1.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.25812
35	Morena	139.54000	1.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.04000
36	Neemuch	184.12780	0.50	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.22780
37	Rajgarh	102.82000	1.50	0.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.32000
38	Shajapur	114.27839	0.50	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.77839
39	Sheopur	100.37000	0.20	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.87000
40	Shivpuri	122.55304	0.20	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.75304
41	Ujjain	97.00000	1.50	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50000
42	Allirajpur (TSP>50%)	105.34989	1.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.84989
43	Agamwala	44.06000	0.30	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94825
44	Dhar-2 (TSP>50%)	47.64825	1.50	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.21781
	DES RVSKVV	119.34000	1.50	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.21781
	ATTC RVSKVV	123.11781	0.10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.76000
	Total RVSKVV	1923.37163	17.60	0.50	214.80	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	2379.90763

Order No. A.F./2019-20/6326-6327  
 BE & RE 2019-20 : ATARI, JABALPUR (13.03.2020)  
 Rs. In Lakhs

S. No.	Name of the ZPD/KVKs	Pay & Allow.	TA	HRD	Cont. then TSP	Recurring Contingency										Non-Recurring Contingency				Grand Total	
						Soil & Water Testing Lab.	Integrated Farming System	Specialized KVK	Technology Inform net	For strength Farms	Rev. Fund	Total	Equip. Furni. Impl.	Lib.	Vehicle	Total					
23	KVK RVSKVV Ashoknagar	BE 2019-20 70.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	Barkhant (TSP>50%)	BE 2019-20 63.00	1.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	1.00	0.00	0.00	83.80
25	Blind	BE 2019-20 65.00	0.75	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00	78.00
26	Chhata	BE 2019-20 70.00	0.75	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	1.00	0.00	0.00	79.75
27	Jewas	BE 2019-20 64.00	0.75	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	80.75
28	Dhar (TSP>50%)	BE 2019-20 100.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	110.00
29	Guna	BE 2019-20 75.00	1.20	0.00	3.32	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	1.00	0.00	0.00	102.52
30	Gwalior	BE 2019-20 70.00	0.75	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	85.75
31	Jhabua (TSP>50%)	BE 2019-20 134.00	1.25	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00	150.00
32	Khandwa (TSP>25 & 50%)	BE 2019-20 90.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	1.00	0.00	0.00	108.00
33	Khandwa (TSP>25 & 50%)	BE 2019-20 70.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	81.25
34	Mandsaur	BE 2019-20 75.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	85.00
35	Morera	BE 2019-20 117.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	7.00	0.00	0.00	142.25
36	Narmada	BE 2019-20 112.00	1.25	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	126.25
37	Rajgarh	BE 2019-20 47.00	0.81	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	55.31
38	Shajapur	BE 2019-20 55.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	65.00
39	Shajapur	BE 2019-20 63.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	75.00
40	Shivpuri	BE 2019-20 48.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	7.00	0.00	0.00	73.00
41	Ujjain	BE 2019-20 73.50	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	86.50
42	Agardwala	BE 2019-20 128.65	1.40	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	143.25
43	Alirajpur (TSP>50%)	BE 2019-20 29.00	0.81	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	38.81
44	Dhar-2 (TSP>50%)	BE 2019-20 19.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	0.00	23.00
	DES RVSKVV	BE 2019-20 21.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	29.81
	ATIC RVSKVV	BE 2019-20 0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	11.00
	Total RVSKVV	BE 2019-20 1634.00	0.00	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	21.00	0.00	0.00	2071.00
	Total RVSKVV	BE 2019-20 1634.45	24.44	1.69	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.46	21.55	0.00	0.00	2149.87

369.01

Computer  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior  
 Director



Mandi Board

Receive

Fig in Lak.

Project	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	G Total
Project Biotechnology lab	621.83	699.34	351.41	0.00	0.00	1672.58
Agriculture Business Management Project	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auditorium & Sangosthi Hall	428.26	588.00	0.00	44.70	0.00	1060.96
Jaiv Proudhyogik Kendra Bhandar	0.00	288.53	443.63	32.39	0.00	764.55
Sabji fasalo ke Hybrid Beej Utpadan ke Iive Umat Kendra	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00
Tissue Culture Aadharit Aaloo beej Utpadan	0.00	0.00	0.00	0.00	196.88	196.88
	<b>1050.09</b>	<b>1575.87</b>	<b>795.04</b>	<b>77.09</b>	<b>308.88</b>	<b>3806.97</b>

Computer  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



Expenditure						
Project	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	G Total
Project Biotechnology lab	55183415.00	52507594.00	61475191.00	0.00	0.00	169166200.00
Agriculture Business Management Project	3351816.00	3281180.00	912419.00	3741967.00	0.00	11287382.00
Auditorium & Sangoshti Hall	38225784.00	57483450.00	8754395.00	4566174.00	0.00	109029803.00
Jaiv Prondhyogik Kendra Bhandar	0.00	13393904.00	67619169.00	3239082.00	0.00	84252155.00
Sabji fasalo ke Hybrid Beej Utpadan ke Ilye Umnat Kendra	0.00	0.00	0.00	0.00	11200000.00	11200000.00
Tissue Culture Aadharit Aaloo beej Utpadan	0.00	0.00	0.00	0.00	4310000.00	4310000.00
	96761015.00	126666128.00	138761174.00	11547223.00	15510000.00	389245540.00

# Adhosarachna ka Punaruddhar thha prastavit naveen niraman karya

Project Name	Sanction Amount	Receipt			10% V.V. Share	Expenditure			Balance Amount
		Letter No.	Amount	D.D. No.		To	Cq. No. /Date	Amount	
A/C NO.21 160110035108	1774.12				177.41				
	1774.12		0.00		177.41			0.00	0.00

## Sabji fasalo ke Hybrid Beej Utpadan ke liye Unnat Kendra

Project Name	Sanction Amount	Receipt			10% V.V. Share	Expenditure			Balance Amount
		Letter No.	Amount	D.D. No.		To	Cq. No. /Date	Amount	
A/C NO. 21160110035115	416.60		112.00	14.12.2023	41.66	CoH Mandasaur	000001/12.03.2024	11200000.00	
	416.60		112.00		41.66			11200000.00	0.00

# Tissue Culture Adharit Aaloo beej Utpadan

Project Name	Sanction Amount	Receipt			10% V.V. Share	Expenditure			Balance Amount
		Letter No.	Amount	D.D. No.		To	Cq. No./Date	Amount	
A/C NO. 21160110035092	929.22				92.92	DRS	000001/18.12.2023	2000000.00	
			196.88	02.11.2023		DRS	000002/18.12.2023	2000000.00	
						CoA Indore	000003/19.02.2024	310000.00	
	929.22		196.88		92.92		4310000.00	0.00	

## Project Biotechnology lab

Project Name	Sanction Amount	Expenditure		10% V.V.	To	Cq. No./Date	Amount	Haed/Bill No.
		Amount	D.D. No.					
PROJECT BIOTECHNOLOGY LAB A/C NO.21160110015056	2430.00	5000000.00	Core Banking	243.00	E E Gwalior	087921/08.02.2016	5000000.00	Advance Payment of Construction
		15000000.00	Core Banking		E E Gwalior	087922/16.05.2016	3669795.00	1st Running Bill Construction
		30000000.00	Core Banking		E E Gwalior	087923/23.06.2016	3949801.00	2nd Running Bill Construction
		55183000.00	Core Banking		E E Gwalior	087925/24.10.2016	10816028.00	3rd Running Bill Construction
		7000000.00	Core Banking		E E Gwalior	087926/26.12.2016	15665296.00	4th Running Bill Construction
		26764000.00	21.04.2020		E E Gwalior	087927/17.03.2017	14190841.00	5th Running Bill
		25744000.00	11.08.2020		E E Gwalior	087928/09.06.2017	14832844.00	6th Running Bill
		17426000.00	01.03.2021		E E Gwalior	087929/09.06.2017	2136681.00	2nd Running Bill Equipment
		35140742.00	08.12.2021		E E Gwalior	087930/13.10.2017	12024996.00	7th Running Bill
					E E Gwalior	आरोजना मद से बुगतान	14941375.00	8th Running Bill
					COA Gwalior	087934/16.05.2019	50474802.00	Equipment
					COA Gwalior	087935/19.02.2020 समारोजन	4708613.00	Equipment
					COA Gwalior	087936/20.05.2020	26763681.00	Equipment
		COA Gwalior	087937/14.12.2020	25743913.00	Equipment			
		COA Gwalior	087938/08.06.2021	17425191.00	Equipment			
		COA Gwalior	087939/28.12.2021	44050000.00				
	2430.00	21725742.00		243.00			266393857.00	

# DPR

Project Name	Sanction Amount	Letter No.	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
			Amount	D.D. No.			To	Cq. No./Date	
DPR A/CNO.21160110020760	611.00	1st	35000000.00	09.12.2016	6110000.00	EE, RVSKV	592741/05.05.2017	35000000.00	
		2nd	17200000.00	22.06.2017		EE, RVSKV	592742/09.06.2017	17200000.00	
		3rd	2766670.00	14.03.2018					
	611.00		54966670.00		6110000.00			52200000.00	8876670.00

# Auditorium & Sangosthi Hall

Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount			To	Cq. No./Date		Amount
AUDITORIUM & SANGOSTHI HALL A/CNO.21160110027950	1189.61		42826000.00	26.02.2020	11896000.00	EE, RVSKVV	000001/03.03.2020	38225784.00	
			35200000.00	11.09.2020		EE, RVSKVV	000002/12.06.2020	7465511.00	
			23600000.00	22.01.2021		EE, RVSKVV	000003/14.09.2020	19968929.00	
			4469798.00	17.05.2022		EE, RVSKVV	000004/14.10.2020	11615127.00	
						EE, RVSKVV	000005/12.11.2020	6813345.00	
						EE, RVSKVV	000006/17.12.2020	4592043.00	
						EE, RVSKVV	000007/24.02.2021	1062171.00	
						EE, RVSKVV	000008/24.03.2021	5966324.00	
						EE, RVSKVV	000009/06.10.2021	5115806.00	
						EE, RVSKVV	000010/09.12.2021	2630972.00	
					EE, RVSKVV	000011/29.12.2021	1007617.00		
					EE, RVSKVV	000012/16.06.2022	4566174.00		
			106095798.00		11896000.00			109029803.00	5833304.00

## Jaiiv Proudhyogik Kendra Bhandar

Project Name	Sanction Amount	Letter No.	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
			Amount				To	Cq. No./Date		Amount
JAIIV PROUDHYOGIK KENDRA BHANDAR A/CNO.21160110027967	925.00		13394000.00		24.06.2020	9250000.00	COA Gwallior	000001/21.08.2020	13393904.00	
			15459000.00		01.03.2021		COA Gwallior	000002/08.06.2021	15458666.00	
			44363000.00		13.09.2021		COA Gwallior	000003/14.10.2021	52160503.00	
			3239082.00		17.11.2022		COA Gwallior	000004/30.01.2023	3239082.00	
			76455082.00			9250000.00			84252155.00	9250096.00



# Renovation & extension of Agriculture College

Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount			To	Cq. No./Date		Amount
RENOVATION & EXTENSION OF AGRICULTURE COLLEGE A/C NO.21160110015476	1000.00	B-3/14/14/543 Dt. 25.05.2012	108.00	048018 Dt. 24.05.2012		E.E. Gwallior	774329/24.07.2012	452860.00	
		3/1/14/165/1009 Dt. 25.03.2015	100.00	Core Banking 20.03.2015		E.E. Gwallior	774330/09.10.2014	1678999.00	
		3/1/14/180/325 Dt. 25.05.2015	200.00	Core Banking 22.05.2015		E.E. Gwallior	774339/29.03.2014	6169311.00	
			300.00	28.12.2016		E.E. Gwallior	774340/30.03.2014	5824567.00	
			52.85	29.05.2017		E.E. Gwallior	774342/30.07.2014	1061782.00	
			123.13	27.06.2017		E.E. Gwallior	598834/31.03.2015	1467917.00	
						E.E. Gwallior	088061/09.07.2015	4616946.00	Equ
						CoA Gwallior	088062/02.01.2016	537655.00	Equ
						CoA Gwallior	088063/01.02.2016	5800000.00	
						E.E. Gwallior	088064/31.03.2016	865961.00	
						E.E. Gwallior	088065/16.05.2016	2605852.00	NBCC
						E.E. Gwallior	088067/20.06.2016	2723087.00	Equ
						CoA Gwallior	088068/22.07.2016	6384760.00	
						E.E. Gwallior	088069/16.07.2017	351096.00	
						E.E. Gwallior	088070/16.01.2017	6913175.00	
				E.E. Gwallior	088071/16.01.2017	9117002.00			
				E.E. Gwallior	088072/16.01.2017	20159196.00			
				E.E. Gwallior	088273/31.03.2017	5247495.00			
	1000.00					81977661.00			

## Agriculture Business Management Project

Project Name	Sanction Amount	Receipt			10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
		Letter No.	Amount	D.D. No.		To	Cq. No./Date	
AGRICULTURE BUSINESS MANAGEMENT A/CNO.21160110015858	252.00	1st	58000000.00	09.12.2016	EE, RVSKVV	594981/20.09.2017	9652686.00	
		2nd	80000000.00	22.06.2017	EE, RVSKVV	594982/13.11.2017	3714091.00	
		3rd	80000000.00	14.03.2018	EE, RVSKVV	594983/02.08.2018	857038.00	
					EE, RVSKVV	594984/02.08.2018	560535.00	
					EE, RVSKVV	594985/22.11.2019	3026098.00	
					EE, RVSKVV	594986/22.11.2019	325718.00	
					EE, RVSKVV	594987/14.12.2020	3281180.00	
					EE, RVSKVV	594989/24.09.2021	371784.00	
					EE, RVSKVV	594990/06.01.2022	540635.00	
					EE, RVSKVV	594991/28.04.2022	3242019.00	
			EE, RVSKVV	594992/15.07.2022	296216.00			
			DD/CC	594993/16.07.2022	203462.00			
	252.00		21800000.00			2520000.00	26071462.00	-1751462.00

# Project Sehore Road

Project Name	Sanction Amount	Receipt		10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
		Letter No.	Amount		D.D. No.	To	
SEHORE ROAD A/CNO.21160110 015513	119.31			11.93			
			48.00		E.E. Bhopal	088081/12.01.16	4800000.00
			35.77		E.E. Bhopal	088082/12.01.16	3577000.00
			22.59		E.E. Bhopal	088083/12.01.16	1193000.00
					E.E. Bhopal	088085/03.07.17	2351000.00
	119.31		106.36	11.93		11921000.00	0.00

## Project Biotechnology Lab

Project Name	Sanction Amount	Expenditure			V.V.	Expenditure			Haed/Bill No.
		Amount	D.D. No.	To		Cq. No. /Date	Amount		
PROJECT BIOTECHNOLOGY LAB A/C NO.21160110015056	2430.00	5000000.00	20.03.2015	E E Gwalior	087921/08.02.2016	5000000.00	Advance Payment of Construction		
		15000000.00	25.07.2016	E E Gwalior	087922/16.05.2016	3669795.00	1st Running Bill Construction		
		30000000.00	29.10.2016	E E Gwalior	087923/23.06.2016	3949801.00	2nd Running Bill Construction		
		55183000.00	15.04.2019	E E Gwalior	087925/24.10.2016	10816028.00	3rd Running Bill Construction		
		7000000.00	03.06.2019	E E Gwalior	087926/26.12.2016	15665296.00	4th Running Bill Construction		
		26764000.00	21.04.2020	E E Gwalior	087927/17.03.2017	14190841.00	5th Running Bill		
		25744000.00	11.08.2020	E E Gwalior	087928/09.06.2017	14832844.00	6th Running Bill		
		17426000.00	01.03.2021	E E Gwalior	087929/09.06.2017	2136681.00	2nd Running Bill Equipment.		
		35140742.00	08.12.2021	E E Gwalior	087930/13.10.2017	12024996.00	7th Running Bill		
				E E Gwalior	आरोपना भद से गुपाना	14941375.00	8th Running Bill		
				E E Gwalior	087934/16.05.2019	50474802.00	Equipment		
				E E Gwalior	087935/19.02.2020 फगरोपना	4708613.00	Equipment		
		E E Gwalior	087936/20.05.2020	26763681.00	Equipment				
		E E Gwalior	087937/14.12.2020	25743913.00	Equipment				
		E E Gwalior	087938/08.06.2021	17425191.00	Equipment				
		E E Gwalior	087939/28.12.2021	44050000.00					
	2430.00	217257742.00		243.00		266393857.00			

## Auditorium & Sangosthi Hall

Project Name	Sanction Amount	Receipt		10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
		Letter No.	Amount		D.D. No.	To	
AUDITORIUM & SANGOSTHI HALL A/CNO.21160110027950	1189.61		42826000.00	26.02.2020	EE, RVSKVV	000001/03.03.2020	38225784.00
			35200000.00	11.09.2020	EE, RVSKVV	000002/12.06.2020	7465511.00
			23600000.00	22.01.2021	EE, RVSKVV	000003/14.09.2020	19968929.00
			4469798.00	17.05.2022	EE, RVSKVV	000004/14.10.2020	11615127.00
					EE, RVSKVV	000005/12.11.2020	6813345.00
					EE, RVSKVV	000006/17.12.2020	4592043.00
					EE, RVSKVV	000007/24.02.2021	1062171.00
					EE, RVSKVV	000008/24.03.2021	5966324.00
					EE, RVSKVV	000009/06.10.2021	5115806.00
					EE, RVSKVV	000010/09.12.2021	2630972.00
				EE, RVSKVV	000011/29.12.2021	1007617.00	
				EE, RVSKVV	000012/16.06.2022	4566174.00	
			106095798.00				109029803.00
							5833304.00

## Jaiy Proudhyogik Kendra Bhandar

Project Name	Sanction Amount	Receipt		10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
		Letter No.	Amount		D.D. No.	To	
JAIY PROUDHYOGIK KENDRA BHANDAR A/CNO.21160110027967	925.00		13394000.00	24.06.2020	COA Gwallor	000001/21.08.2020	13393904.00
			15459000.00	01.03.2021	COA Gwallor	000002/08.06.2021	15458666.00
			44363000.00	13.09.2021	COA Gwallor	000003/14.10.2021	52160503.00
			3239082.00	17.11.2022	COA Gwallor	000004/30.01.2023	3239082.00
			76455082.00				9250096.00



## Renovation & extension of Agriculture College

Project Name	Sanction Amount	Receipt		Expenditure		Balance Amount
		Letter No.	Amount	To	Cq. No./Date	

Project Name	Sanction Amount	Receipt		Expenditure		Balance Amount		
		Letter No.	Amount	To	Cq. No./Date		Amount	
RENOVATION & EXTENSION OF AGRICULTURE COLLEGE A/C NO.21160110015476	1000.00	B-3/14/14/543 Dt. 25.05.2012	108.00	048018 Dt. 24.05.2012	E.E. Gwallior	774329/24.07.2012	452860.00	
		3/1/14/165/1009 Dt. 25.03.2015	100.00	Core Banking 20.03.2015	E.E. Gwallior	774330/09.10.2014	1678999.00	
		3/1/14/180/325 Dt. 25.05.2015	200.00	Core Banking 22.05.2015	E.E. Gwallior	774339/29.03.2014	6169311.00	
			300.00	28.12.2016	E.E. Gwallior	774340/30.03.2014	5824567.00	
			52.85	29.05.2017	E.E. Gwallior	774342/30.07.2014	1061782.00	
			123.13	27.06.2017	E.E. Gwallior	598834/31.03.2015	1467917.00	
					E.E. Gwallior	088061/09.07.2015	4616946.00	Equ
					COA Gwallior	088062/02.01.2016	537655.00	Equ
					E.E. Gwallior	088063/01.02.2016	5800000.00	
					E.E. Gwallior	088064/31.03.2016	865961.00	
					E.E. Gwallior	088065/16.05.2016	2605852.00	NBCC
					COA Gwallior	088067/20.06.2016	2723087.00	Equ
					E.E. Gwallior	088068/22.07.2016	6384760.00	
					E.E. Gwallior	088069/16.07.2017	351096.00	
					E.E. Gwallior	088070/16.01.2017	6913175.00	
			E.E. Gwallior	088071/16.01.2017	9117002.00			
			E.E. Gwallior	088072/16.01.2017	20159196.00			
			E.E. Gwallior	088273/31.03.2017	5247495.00			
	883.98					81977661.00		

# Project Sehore Road

Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount			To	Cq. No. /Date		Amount
SEHORE ROAD A/CNO.21160110 015513	119.31				11.93				
			48.00	Core Banking 13.08.2015		E.E. Bhopal	088081/12.01.16	4800000.00	
			35.77	Core Banking 16.04.2016		E.E. Bhopal	088082/12.01.16	3577000.00	
			22.59	15.05.2017		E.E. Bhopal	088083/12.01.16	1193000.00	
						E.E. Bhopal	088085/03.07.17	2351000.00	
	119.31		106.36		11.93		11921000.00	0.00	



Fig in lac

मध्य प्रदेश शासन से अधोसरचना में प्राप्त राशि का विवरण						
Year	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
Amount in lac	181.66	227.33	227.33	327.33	437.33	1400.98

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

मांग - 013 - किसान कल्याण तथा कृषि विकास

लेखा 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023		पुनरीक्षित अनुमान 2022-2023		(आंकड़े हजार रुपयों में) बजट अनुमान 2023-2024	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0102- अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम) - 4,58,69						
0	0	12,50,00	0	7,91,31	0	0
0	0	12,50,00	0	7,91,31	0	0
योग - योजना - (5664) 12,50,00						
0103- अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम) - 2,83,31						
0	0	3,27,33	0	3,27,33	0	0
0	0	6,26,83	0	3,43,52	0	0
0	0	9,54,16	0	6,70,85	0	0
0	0	9,54,16	0	6,70,85	0	0
0	0	1,79,38,00	0	1,71,96,00	0	0
0	0	1,79,38,00	0	1,71,96,00	0	0
योग- उद्देश्य शीर्ष - #42 9,54,16						
योग - योजना - (5664) 9,54,16						
योग- लघु शीर्ष - {120} 1,79,37,99						
योग लेखा शीर्ष - 2415 1,79,37,99						
2702 - लघु सिंचाई						
[02] - भू-जल						
{196} जिला पंचायतों - को सहायता						
0102 - अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)						
(2791) प्रायवेट - एजेन्सियों, ठेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता (1402) - संचालक, कृषि, भोपाल						

लेखा 2020-2021		बजट अनुमान 2021-2022		पुनरीक्षित अनुमान 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
<b>0103- अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)</b>							
2,27.33	0	2,27.33	0	2,27.33	0	0	0
#42 - सहायक अनुदान							
001 - अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान							
5,50.00	0	5,50.00	0	5,50.00	0	0	0
002 - संभारण अनुदान (वेतन नत्ते, मानदेय इत्यादि)							
7,77.33	0	7,77.33	0	7,77.33	0	0	0
7,77.33	0	7,77.33	0	7,77.33	0	0	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	0	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	0	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	0	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	0	0
योग- उद्देश्य शीर्ष - #42							
योग - योजना - (5664)							
योग- लघु शीर्ष - {120}							
योग लेखा शीर्ष - 2415							
योग एक - राजस्व अनुभाग							
योग मांग संख्या - S*							

मांग - 013 - किसान कल्याण तथा कृषि विकास

लेखा 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023		पुनरीक्षित अनुमान 2022-2023		(आंकड़े हजार रुपयाँ में) बजट अनुमान 2023-2024	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
						<b>2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा</b>	
						[01] - फसल कृषि कार्य	
						{120} अन्य संस्थाओं - को सहायता	
						(0715) जवाहरलाल - नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्वयितीय पेंशन योजना	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
0	0	31,38,00	0	31,38,00	0	#42 - सहायक अनुदान	
						007 - अन्य शर्त रहित अनुदान	31,38,00 0
0	0	31,38,00	0	31,38,00	0	<b>योग - योजना - (0715)</b>	<b>31,38,00 0</b>
						0101 - सामान्य	
						(1455) जवाहरलाल - नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
						#42 - सहायक अनुदान	
0	0	1,50,00	0	1,50,00	0	001 - अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	1,50,00 0
0	0	93,50,00	0	93,50,00	0	002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	93,50,00 0
0	0	95,00,00	0	95,00,00	0	<b>योग- उद्देश्य शीर्ष - #42</b>	<b>95,00,00 0</b>
0	0	95,00,00	0	95,00,00	0	<b>योग - योजना - (1455)</b>	<b>95,00,00 0</b>
						(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
						#42 - सहायक अनुदान	
0	0	1	0	1	0	001 - अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	1,00,00 0
0	0	14,50,00	0	14,50,00	0	002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	13,50,00 0
0	0	16,45,83	0	16,45,83	0	007 - अन्य शर्त रहित अनुदान	16,45,83 0
0	0	30,95,84	0	30,95,84	0	<b>योग- उद्देश्य शीर्ष - #42</b>	<b>30,95,83 0</b>
0	0	30,95,84	0	30,95,84	0	<b>योग - योजना - (5664)</b>	<b>30,95,83 0</b>

लेखा शीर्ष : 2415 [01] - {120}

मांग - 054 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

वजट अनुमान  
2019-2020

पुनरीक्षित अनुमान  
2018-2019

वजट अनुमान  
2018-2019

लेखा  
2017-2018

मतदेय भारत मतदेय भारत मतदेय भारत मतदेय भारत

0101- सामान्य

18,00,00 0 18,50,00 0 18,50,00 0 0 0

0 0 22,90,00 0 22,90,00 0 0 0

18,00,00 0 41,40,01 0 41,40,01 0 0 0

18,00,00 0 41,40,01 0 41,40,01 0 0 0

#42 - सहायक अनुदान

001 - अधीसंरचना/पू जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान

0 0 0 0 0 0 1 0

002 - संभारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)

0 0 13,50,00 0 13,50,00 0 15,45,83 0

007 - अन्य

योग- उद्देश्य शीर्ष - #42 28,95,84 0

योग - योजना - (5664) 28,95,84 0

0102 - अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)

(5664) राजमाता - विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय न्वालियर की स्थापना

(1402) - संचालक, कृषि, नोपाल

01015- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

0102- अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)

9,72,40 0 10,50,00 0 10,50,00 0 0 0

9,72,40 0 10,50,00 0 10,50,00 0 0 0

9,72,40 0 10,50,00 0 10,50,00 0 0 0

#42 - सहायक अनुदान

002 - संभारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)

0 0 11,50,00 0 11,50,00 0 11,50,00 0

योग - योजना - (5664)

0103 - अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)

(5664) राजमाता - विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय न्वालियर की स्थापना

(1402) - संचालक, कृषि, नोपाल

01015- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

0103- अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)

2,70,00 0 3,00,00 0 3,00,00 0 0 0

5,45,10 0 6,00,00 0 6,00,00 0 0 0

8,15,10 0 9,00,00 0 9,00,00 0 0 0

8,15,10 0 9,00,00 0 9,00,00 0 0 0

#42 - सहायक अनुदान

001 - अधीसंरचना/पू जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान

0 0 2,27,33 0 2,27,33 0 2,27,33 0

002 - संभारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)

0 0 5,50,00 0 5,50,00 0 7,77,33 0

योग- उद्देश्य शीर्ष - #42 7,77,33 0

योग - योजना - (5664) 7,77,33 0

(5664) राजमाता - विजयाराजे

(1402) - संचालक, कृषि, नोपाल

लेखा शीर्ष : 2415 [01] - {120}

14 - 86

क्रमांक 482317

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 488 भोपाल, दिनांक - 26 अप्रैल, 2023

प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालिस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) / ५१० भोपाल, दिनांक - २६ अप्रैल, 2023  
प्रति,

आयुक्त

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 20.00 लाख स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

OFFICE  
P.H. 1882A  
20/7/23

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 871 भोपाल, दिनांक - 18 जुलाई, 2023

प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

8/20/23

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि रूपये 24.00 लाख स्वीकृति बावत् ।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 24.00 लाख (चौबीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

18/7/23

Mang





मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752)

भोपाल, दिनांक - 18 जुलाई, 2023

प्रति,

79

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि रूपये 78.5592 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 78.5592 लाख (अठहत्तर लाख पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

18/7/23

manoj

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 73 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2023


प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रूपये 52.3728 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 52.3728 लाख (रूपये बावन लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-


1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का संभावित बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

  
18/01/24

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लाक ग्रांट -V- अनुसूचित जाति उपयोजना -42- सहायक अनुदान -001- अधोसंरचना/पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित हेतु अंतर्गत विकल्पनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
18/01/24  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 74 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2023  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, संचालनलय कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन खण्ड-अ अरेरा हिल्स, भोपाल
5. आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग- ग्वालियर की ओर लेख है कि उक्त राशि कोषालय से आहरण कर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भुगतान करने का कष्ट करें।
8. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।
10. उप संचालक, (बजट), संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।

  
18/01/24  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 69 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2024  
प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रूपये 16.00 लाख स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 16.00 लाख (सोलह लाख मात्र) पूँजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-


1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

18/1/24

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0101 सामान्य -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लाक ग्रांट -V-42- सहायक अनुदान -001- पूंजीगत परिसंपत्तियों आदि अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
18/01/24  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 70 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2023  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, संचालनालय कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन खण्ड-अ अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग- ग्वालियर की ओर लेख है कि उक्त राशि कोषालय से आहरण कर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भुगतान करने का कष्ट करें।
8. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।
10. उप संचालक, (बजट), संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।

  
18/01/24  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 323 भोपाल, दिनांक -13/3/2024  
प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से शेष 20 % कटौती राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बाबत ।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 100.00 लाख में से में से शेष 20 % कटौती राशि 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

13/03/2024

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग


क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 325 भोपाल, दिनांक- 13/3/2024  
प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से शेष 20 % कटौती राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बाबत ।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से शेष 20 % कटौती राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (षेसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी क्रिस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

  
13/03/2024

126 13/2023

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक #DocumentNumber# (61175) भोपाल, दिनांक - 08/02/2023

182279

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रुपये 52.3728 लाख स्वीकृति बावत।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रुपये 261.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 52.3728 लाख (बावन लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

मार्च

पृ. क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR) (61175) १७ भोपाल, दिनांक - 7 फरवरी, 2023  
प्रति,

आयुक्त

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से 20% कटौती की राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बाबत।

वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 327.33 लाख में से 20% कटौती की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 65.466 लाख (पैंसठ लाख छियालीस ह्: सौ मात्र ) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेंतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पद निर्मित नहीं किये जावें।
4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. ज.न.कृ.वि.वि जबलपुर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पर्याप्त एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृति सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावें।
11. वित्त विभाग के निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/ निर्देशों/ परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावें।

07/03/23

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0108/2021-Sec-2-14(AGR) (01175) 649 भोपाल, दिनांक - 21 जुलाई, 2022  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को स्वीकृत ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत द्वितीय तिमाही किस्त की 30 प्रतिशत राशि रूपये 78.5592 लाख स्वीकृत करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20% यानी उपरोक्त आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 78.5592 लाख (अठहत्तर लाख पचास हजार की साँ बीस मात्र) पूंजीगत परियोजनाओं के शुभान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाने समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये अनुदान में कोई पुनरीक्षण सम्पन्न, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ बी दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 से दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव अगस्त मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों को पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.मि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के क्षेत्रों का अंशदान करने के लिए मन्त्रालयवार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एडिशन में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा कर उपरोक्त शर्तों को पूर्णतया पालन किया जावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का अन्य प्रावधानित प्रयोजन हेतु की सुनिश्चित किया जावे।

21/7/22

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल


क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR) (61175) 4/8 भोपाल, दिनांक-29 अप्रैल, 2022  
प्रति;

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नार्कित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

  
29/4/22

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
संचालक, भोपाल

क्रमांक: 142/2022/FWAD (61175)

भोपाल, दिनांक 09/11/2022

प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत तृतीय तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति बावत्

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पद निर्मित नहीं किये जावें।
4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय भाग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा - 01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लॉक ग्रांट -V- अनुसूचित जाति उपयोजना -42- सहायक अनुदान - 001- अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित हेतु अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

Signed by Jitendra Singh  
Parihar

Date: 09/11/2022 17:53:52

Reason: मध्य प्रदेश शासन  
Approves

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

2021-22

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय

क. / क्रमांक: 101/2021/FWAD

भोपाल, दिनांक 12/05/2021

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2021-22 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से प्रथम तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2021-22 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात परियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

2

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 174/2021/FWAD(68993)  
प्रति,

04/08/2021

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिये राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से द्वितीय तिमाही किस्त हेतु 30 प्रतिशत स्वीकृत करने बाबत।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 54.5592 लाख (रुपये चौवन लाख पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिये हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में किया जाय।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया पूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

01/11/2021

क्रमांक: 222/2021/FWAD (84129)

प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु 20 प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु 20 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 36.3728 लाख (छत्तीस लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय, को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के सम्बन्धित अद्यतन आदेश/निर्देश/परिपत्रों के

(4)

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14/AGR(61175) 59


24  
भोपाल, दिनांक /01/2022

प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने बावत।  
वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय, को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

  
24/01/22



(5)

मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR)(61175)/228 भोपाल, दिनांक - 9 मार्च, 2022

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से 20 %कटोत्री की राशि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत् स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में 20 %कटोत्री की राशि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत् राशि सहायक अनुदान राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिए गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

09/3/22

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

2020-21

भोपाल, दिनांक 19/5/2020

क्रमांक बी-4/11/2020/14-2/1400  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा लेखानुदान 2020 में स्वीकृत बजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट लेखानुदान 2020 में प्रावधानित राशि रूपये 45.47 लाख आंवटित राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 45.47 लाख (राशि रु. पैंतालिस लाख सैंतालिस हजार मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

19/5/20

2

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय  
क्रमांक बी-4/11 / 2020/14-2 / 2017  
प्रति, भोपाल, दिनांक 29/8/2020

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय : वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से द्वितीय किस्त हेतु शेष राशि स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से प्रथम छिमाही हेतु (45%) राशि सहायक अनुदान की शेष राशि राशि रुपये 36.3688 लाख ( राशि रु. छत्तीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1.) बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य स्रोतों से हाने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2.) दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3.) दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4.) यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5.) भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6.) रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7.) पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8.) इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9.) आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
- 10.) स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

29/8/20

3

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय

क्रमांक: 27/2020/FWAD

प्रति,

संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय: वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु राशि स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु (25%) राशि सहायक अनुदान की राशि रुपये 45.466 लाख (राशि रु. पैंतालिस लाख छयालीस हजार छ सौ मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से हाने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

05/02/2021

#DocumentNumber#  
प्रति..

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय: वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत वजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु (30%) हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत वजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु (30%) राशि सहायक अनुदान की राशि रुपये 54.5592 लाख (राशि रु. चौवन लाख पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. वजट बनाने समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य खर्चों से हाने वाली आय का समावेश वजट में करें।
2. दिनांक 26.12.20 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
3. दिनांक 26.12.20 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, मामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या-54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा- 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य -120- अन्य संस्थाओं को सहायता -0103 अनुसूचित जाति उपयोजना - (5664) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना v-42- सहायक अनुदान -001-सहायक अनुदान (अधोमंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु) अंतर्गत विकल्पनीय होगा।

SCP (2n)

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

comptroller  
9/2/21

Jitendra Singh / ACP  
K  
6/2/2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
Digitally signed by JITENDRA SINGH  
PARIHAR  
Date: Fri Feb 05 14:30:03 IST 2021  
Reason: Approved  
( जितेन्द्र सिंह परिहार )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

25/03/2021

क्रमांक: 80/2021/FWAD

प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत राशि में से 20 प्रतिशत रोकी गई राशि स्वीकृत करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 227.33 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त की 20 प्रतिशत रोकी गई राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का संयोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या- 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा-2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01- फसल कृषि कार्य-120- अन्य संस्थाओं को सहायता -0103 अनुसूचित जाति उपयोजना - (5664) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना V-42-सहायक अनुदान-001- सहायक अनुदान (अधोसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु) अंतर्गत विकल्पनीय होगा।  
(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

Digitally signed by JITENDRA SINGH  
PARIHAR  
Date: Thu Mar 25 15:26:35 IST 2021  
Reason: Approved

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

2019-20

①

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक बी-4/08/2017/14-2 / 1479  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/5/2019

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय : वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान के अन्तर्गत प्रथम किस्त की राशि की स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभागीय लेखा अनुदान बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख, में से माह अप्रैल - मई 2019 हेतु राशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) मात्र का सहायक अनुदान अद्योसंरचना/पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है :-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण प्रश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

  
6/5/19

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 4/3/19

क्रमांक बी-4/08/2017/14-2/4000  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि में से द्वितीय किस्त हेतु शेष स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रूपये 181.864 लाख में से प्रथम छिमाही हेतु 45% राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 1.83880 लाख (राशि रु. एक लाख तिरासी हजार आठ सौ अस्सी मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

  
4/3/19



3

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

4707

क्रमांक/बी-4/08/2019/14-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24-10-19  
5075  
24.10.19

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि मे से तृतीय किस्त हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रूपये 181.864 लाख में से तृतीय किस्त 25 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 45,46,600 लाख (राशि रु. पैतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1 बजट बनाने समय कृषि विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जायेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अक्षय उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

24/10/19

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 19.07.2019

क्रमांक बी-4/09/2017/14-2/3400  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय : वर्ष 2019-20 में प्रावधानित लेखानुदान अनुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु लेखा अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से 30 प्रतिशत राशि की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभागीय लेखा अनुदान बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख (रूपये सौ लाख) में से जून - जुलाई 2019 हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 30 प्रतिशत राशि रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) मात्र का संधारण अनुदान (वेतन भत्ते इत्यादि) हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 रा.वि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेखण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

18/7/19

(4) 7

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 20-01-2020


क्रमांक बी-4/08/2017/14-2/271  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि में से चतुर्थ किस्त हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 227.33 लाख में से आंशिक राशि रूपये 181.864 लाख में से चतुर्थ किस्त 30 प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 54.55920 लाख (राशि रु. चउवन लाख पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

  
20/1/2020